प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 3/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 13 जनवरी 2023- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 10.02.2022 के माध्यम से भादूविप्रा को सूचित किया कि लाइसेंसधारियों के बीच इष्टतम संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने हेतु, प्राधिकृत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं की सभी श्रेणियों के बीच सभी प्रकार के दूरसंचार अवसंरचना तथा नेटवर्क तत्वों को साझा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। उक्त पत्र के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने इस मुद्दे पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11(1)(ए) के तहत भादूविप्रा से सिफारिशें मांगी है।

2. इंटर-बैंड स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने की अनुमति देने के लिए हितधारकों के अनुरोध पर विचार करते हुए, अवसंरचना की साझेदारी से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ स्पेक्ट्रम की साझेदारी और स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है।

3. इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' पर एक परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 10 फरवरी 2023 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और 24 फरवरी 2023 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह /-

(राजीव सिन्हा)

सचिव प्रभारी, भादूविप्रा